न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 20/2024

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. **श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल, मैसर्स शुभम एजेन्सी, गणपती काम्पलेक्श, बस स्टेण्ड के पास, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।**
2. **श्री सुशील कसेरा, मैसर्स कसेरा इन्टरप्राईजेज, एच–1/103, इन्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर, जिला सीकर।**

3- M/S VADILAL INDUSTRIES LIMITED, Village- Pundhara] Taluka : Mansa Gandhinagar, undhra (Gujrat) 382855

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदकगण की ओर से ....अनावेदकगण स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक :** 05/8/24

श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है:– कि आवेदक श्री महेन्द्र सिंह मेहनतकश, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 03.08.2023 को मैसर्स शुभम एजेन्सी, गणपती काम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड के पास झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री रितेश अग्रवाल पुत्र श्री बाबुलाल अग्रवाल उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान विक्रेता के कोल्ड स्टोरेज में करीब 300 पीस Paneer Malai (Vadilal) आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ Paneer Malai (Vadilal) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद एक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक [illegible] रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) के सबस्टैण्डर्ड फूड (Sub-Standard [illegible] is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat and hence it also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) due to presence of foreign fa[illegible] आने पर प्रार्थना पत्र [illegible] कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:28:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदकगण ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी गणपती काम्प्लेक्श बस स्टेण्ड के पास, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू में मैसर्स शुभम एजेन्सी के नाम से दुकान है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनोवदक संख्या 2 से जरिये पक्के बिल खरीदा था। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण को खारिज किया जावे।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी एच–1/103, इन्डस्ट्रीयल एरिया, सीकर, जिला सीकर में मैसर्स कसेरा इन्टरप्राईजेज के नाम से फर्म है। उसकी कम्पनी से खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) का जरिये पक्के बिल बेचान मैसर्स शुभम एजेन्सी, गणपती काम्प्लेक्श बस स्टेण्ड के पास, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू को किया गया था जहां उक्त खाद्य पदार्थ का सैम्पल लिया गया था जो कि सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard food) पाया गया है। अनावेदक ने कथन किया कि उसने उक्त खाद्य पदार्थ अनोवदक संख्या 3 **M/S VADILAL INDUSTRIES LIMITED, Village- Pundhara] Taluka : Mansa Gandhinagar, undhra (Gujrat) 382855** से जरिये पक्के बिल खरीदा था अतः उसके विरूद्ध प्रकरण को खारिज किया जावे।

अनावेदक संख्या 3 M/S VADILAL INDUSTRIES LIMITED, Village- Pundhara] Taluka : Mansa Gandhinagar, undhra (Gujrat) 382855 की ओर से प्रतिनिधि श्री अर्पित पारीख ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा कथन किया कि अनावेदक संख्या 1 की दुकान से जो सैम्पल लिया गया है वह उत्पाद उनकी कम्पनी का है। उक्त सैम्पल के सब–स्टैण्डर्ड (Sub-Standard food) आने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी की है तथा कम्पनी प्रकरण में लगाये गये जुर्माने को भरने के लिए तैयार है।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./3199/एक्ट/2023/3266 दिनांक 18.08.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample also food containing extraneous matter (Foreign [illegible]) under section 3(1)(i)) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) जरिये पक्के बिल अनोवदक संख्या 2 से जरिये [illegible] खरीदा था तथा अनावेदक संख्या 2 ने उक्त खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल अनावेदक संख्या 3 से खरीदा था तथा उक्त खाद्य पदार्थ जाने माने ब्रान्ड **VADILAL INDUSTRIES LIMITED** का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 16:28:42 IST
Reason: SelfAttested

है उक्त खाद्य पदार्थ जाने माने ब्रान्ड का होने के कारण अनावेदक संख्या 1 व 2 ने खरीद कर बेचान किया। अतः प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 व 2 को दोषी नही माना जा सकता है। चुंकि अनावेदक संख्या एक जाना माना ब्रान्ड है तथा लोगों को कम्पनी के उत्पादों पर भरोसा है। जिससे आम जनता विश्वास कर उत्पाद खरीदती है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ Paneer Malai (Vadilal) सब–स्टेण्डर्ड फूड (Sub-Standard and the sample also food containing extraneous matter (Foreign Fat) under section 3(1)(i)) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 3 **M/S VADILAL INDUSTRIES LIMITED, Village- Pundhara] Taluka : Mansa Gandhinagar, undhra (Gujrat) 382855** ने अनावेदक संख्या 2 को उक्त खाद्य पदार्थ जरिये पक्के बिल बेचान किया था तथा स्वयं उत्पादक फर्म है। अतः प्रकरण में **M/S VADILAL INDUSTRIES LIMITED, Village- Pundhara] Taluka : Mansa Gandhinagar, undhra (Gujrat)-382855** को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का दोषी मानकर प्रकरण में 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये के अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.09.06 11:28:42 IST
Reason: SelfAttested